

डिग्री बमुकदमें ईत्तादाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 ब्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी
पीठासीन अधिकारी-मांगीलाल आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:-278/2020

अशोक कुमार पुत्र स्व० लीलाधर जाति अरोड़ा निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला
हनुमानगढ।

बनाम

1. सुभाषचन्द्र पुत्र स्व० लीलाधर जाति अरोड़ा निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. सुशीला देवी पत्नी स्व० महेशचन्द्र जाति अरोड़ा निवासी टिब्बी हाल आबाद श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. पूजा मुजाल पुत्री स्व० महेशचन्द्र पत्नी अमित मुजाल जाति अरोड़ा निवासी नजदीक मोटर मार्केट मकान नं० 2111, आशियाना एनकलेव, सैक्टर नं० 48 सी चण्डीगढ।
4. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मांगीलाल आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री रतनलाल शर्मा वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री महावीरप्रसाद वर्मा प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिग्री दी जाती है क.वादी अशोक कुमार व प्रतिवादीसं० 1 सुभाषचन्द्र को ब०हि०ब० चकनं० 13 सीडीआर के खाता सं० 24/130 में अंकित कुल 2.0240 है० नाली प्रथम व चकनं० 5 एस.आर डबल्यू के खाता सं० 61/61 के प०न० 210/273 मु० 16 किला नं० 11,12,13,17,18,19,20/1.771 है० ख.प्रतिवादीया सं० 2 सुशीला देवी व प्रतिवादीया सं० 3 पूजा मुजाल को ब०हि०ब० चक 5 एस.आरडबल्यू के प०न० 212/274 मु० 23 किलानं० 23,24/.506 है० 25/1/.228, 25/2/.025 है० गै०मु० रास्ता, प०न० 212/275 मु० 32 किलानं० 4/.253, 5/1/.228, 5/2/.025 है० कुल 1.265 है० मय गै०मु० रास्ता के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर उपरोक्त अनुसार खाता तकसीम कर रकम राज अलग से कायम किये जाने व चकनं० 13 सीडीआर के खता सं० 24/130 मे से प्रतिवादीया सं० 2 व 3 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज...X...निल...X...मुब्लिक...X...निल...X...बाबत्...X...निल...X...खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ...X...अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अवसब्त से आज दिनांक...09.12.2020...को जारी किया गया।



(मांगीलाल)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी